

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

12 अगस्त, 2017 (ई0)

शनिवार, तिथि-

[दशम् (मानसून) सत्र]

21 श्रावण, 1939 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)-सर्वश्री निर्भय कुमार शाहाबादी, ग्लेन जोसेफ गॉलस्टोन एवं जय प्रकाश सिंह भोगता, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-09.08.2017, 10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)
- (05)-श्री शिवशंकर उरांव, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-09.08.2017, 10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)
- (06)-श्री बिरंची नारायण, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)
- (07)-श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)
- (08)-श्री भानू प्रताप शाही एवं श्री प्रकाश राम, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)

कू0पृ0उ0/-

- (09)-श्री अरुण चटर्जी,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)
- (10)-श्री राजकुमार यादव,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 एवं 11.08.2017 से स्थगित)
- (11)- श्री अशोक कुमार,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-11.08.2017से स्थगित)
- (12)- श्री आलमगीर आलम,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-11.08.2017से स्थगित)
- (13)- श्री अमित कुमार,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-11.08.2017से स्थगित)
- (14)- श्री अनंत कुमार ओझा एवं श्री अमित कुमार मंडल,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-11.08.2017से स्थगित)
- (15)- श्री राज सिन्हा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-11.08.2017से स्थगित)
- (16)- सर्वश्री रामकुमार पाहन,लक्ष्मण टुडू एवं श्री मनीष जायसवाल,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (17)- श्री योगेश्वर महतो,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (18)- श्री प्रकाश राम एवं श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (19)- सर्वश्री स्टीफन मराण्डी,रबीन्द्रनाथ महतो एवं श्री साईमन मराण्डी, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20)- श्रीमती मेनका सरदार,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

--: समितियों का गठन :-

(21)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

--: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(22)- प्रभारी योजना-सह-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष 2015-16 का राज्य वित्त सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों तथा स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ। तथा इस क्रम में प्रभारी वित्त मंत्री पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(23)- प्रभारी योजना-सह-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 2015-16 झारखण्ड सरकार का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ। तथा इस क्रम में प्रभारी योजना-सह-वित्त मंत्री पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर सरकारी उपक्रमों संबंधि समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(24)- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-40(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली 2017 से संबंधित अधिसूचना की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(25)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(26)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक,2017

- (27)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन)विधेयक,2017”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (28)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक,2017”पर विचार हो।
- (30)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन)विधेयक,2017”स्वीकृत हो।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन)विधेयक,2017

- (31)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री), प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन)विधेयक,2017”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (32)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री), प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन)विधेयक,2017”को पुरःस्थापित करेंगे।
- (32)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री), प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन)विधेयक,2017” पर विचार हो।
- (33)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री), प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन)विधेयक,2017”स्वीकृत हो।

झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक,2017

- (34)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री), प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक,2017”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (35)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, (मुख्यमंत्री) उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (36)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, (मुख्यमंत्री) प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक,2017”पर विचार हो।

- (37)- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, (मुख्यमंत्री) प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड धर्म स्वतंत्र विधेयक, 2017" स्वीकृत हो।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017

- (38)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (39)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (40)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017" पर विचार हो।
- (41)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017" स्वीकृत हो।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

- (42)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)
- : प्रश्नों के संबंध में विवरण :-
- (43)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।
- (44)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
- (45)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2017-2449/वि0स0, राँची, दिनांक-.../.../अगस्त, 2017 ई0।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१७-२५५९/वि०स०,राँची,दिनांक-११...अगस्त,२०१७ ई०।
 प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय
 को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज कुमार
 ११/८/२०१७

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१७-२५५९/वि०स०,राँची,दिनांक-११...अगस्त,२०१७ ई०।
 प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/
 पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार
 ११/८/२०१७

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सरोज कुमार
 ११/८/१७